भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3248
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

**न्याय मित्र योजना**

**3248. डॉ. सुजय विखे पाटील :**
**डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :**
**श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :**
**श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में न्याय मित्र योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं एवं महाराष्ट्र सहित उक्त योजना के तहत निपटाए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और इनका ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार ने देश के अन्य राज्यों में इस योजना का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाया है ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या इस योजना ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे बनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इसे लागू किया गया है ; और
(ङ) सरकार द्वारा हाशिए पर रह रहे लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए कौन-कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (घ) :** जी, हां । न्याय मित्र का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में दशक पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है । अप्रैल, 2017 से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, ओड़िशा और महाराष्ट्र राज्यों में कुल संख्या में 27 न्यायमित्रों को लगाया गया था, जिन्होने 2019 पुराने मामलों के निपटान में संबंधित न्यायालयों की सहायता की थी । न्याय मित्र द्वारा राज्य वार मामला निपटान के ब्योरे **उपाबंध 'क'** पर हैं । न्यायालयों के बंद होने और कोविड महामारी द्वारा कारित सामाजिक दूरी प्रोटोकाल के कारण वर्ष 2020-2021 के दौरान किसी भी न्याय मित्र को नहीं लगाया जा सका । वर्ष 2021-2026 तक सम्पूर्ण देश में 80 न्याय मित्रों को लगाया जाएगा । ऐसे न्याय मित्रों ने, जिनको लगाया था, उन 2019 पुराने मामलों के निपटान में सहायता की है, जिनके अंतर्गत वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले जैसे सिविल मामले और दांडिक मामले भी हैं ।

**(ङ) :** विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 समाज के दुर्बल वर्गों के लिए नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं, जिनमें अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आने वाले फायदाग्राही भी हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराता है कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए अवसरों से वंचित न रह जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए

लोक अदालतें आयोजित कराना कि विधिक प्रणाली का प्रचालन समान अवसरों के आधार पर न्याय का संवर्धन करे ।

इस प्रयोजन के लिए, विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तालुक स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक की गई है । अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान, 3.10 लाख व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं और 75.41 लाख मामले (न्यायालयों में और पूर्व मुकदमा प्रक्रम पर विवादों में लंबित) लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सहायता का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों को प्रो-बोनो वकीलों से जोड़ने के लिए न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम आरंभ किया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3603 प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और 1448 मामलों को फायदाग्राहियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है । 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पूरे 669 जिलों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे टेली-विधि कार्यक्रम, पंचायतों में 75,000 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से पैनल वकीलों द्वारा पूर्व-मुकदमा प्रक्रम पर, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए हकदार व्यक्तियों सहित जनता को विधिक सहायता उपलब्ध कराता है । टेली-विधि ने आज की तारीख तक 12.5 लाख से अधिक फायदाग्राहियों को सलाह दी है ।

**********

**उपाबंध 'क'**

**डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा उठाया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 3248, जिसका उत्तर 17-12-2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण :**

**न्याय मित्रों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या को अंतर्विष्ट करने वाला राज्यवार विवरण**

| **क्र. सं0** | **राज्य** | **निपटाए गए मामलों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | बिहार | 44 |
| 2 | महाराष्ट्र | 313 |
| 3 | ओड़िशा | 169 |
| 4 | राजस्थान | 1360 |
| 5 | उत्तर प्रदेश | 111 |
| 6 | पश्चिमी बंगाल | 22 |
| | **कुल योग** | **2019** |

**********